



संख्या-13/2025/128/77-6-25-6099/138/2023/1712455

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग निदेशालय, उ०प्र०,

कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 17-02-2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी०एम० गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मद के अंतर्गत 01 कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीसीडा के पत्र संख्या-381/यूपीसीडा/वि०अ०-तृतीय/कानपुर दिनांक 13.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुल 01 कार्य का आगणन/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'पी०एम० गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड' के अंतर्गत अधोतालिका के स्तंभ 2 में अंकित 01 कार्य के सम्मुख अधोतालिका के स्तंभ 4 में अंकित धनराशि कुल रु. 3,41,03,541.00 (रु. तीन करोड़ इकतालीस लाख तीन हजार पाँच सौ इकतालीस मात्र) को श्री राज्य पाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ अवमुक्त करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र.	कार्य का नाम	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि (रूपये में)	अवमुक्त हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	'सरोजनी नगर (विस्तार) के भूखण्ड संख्या-01 हेतु 33 के.वी. विभव के स्वतंत्र पोषक का कार्य'	3,41,03,541.00	3,41,03,541.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि को आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।
 2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
 3. स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाएगा।
 6. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
 7. स्वीकृत धनराशि के व्यय का लेखा-जोखा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा रखा जाएगा।
 8. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 9. यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य पूर्व में न हो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।
 10. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
 11. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी यूपीसीडा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
 12. यूपीसीडा द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,41,03,541.00 (रुपये तीन करोड़ इकतालीस लाख तीन हजार पाँच सौ इकतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875608000300 पी.एम. गतिशक्ति योजना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 13/2025/128(1)/77-6-25-6099/138/2023/1712455, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन/ऊर्जा विभाग उ०प्र० शासन।
3. प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. उप महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीसीडा के पत्र संख्या-381/यूपीसीडा/वि०अ०-तृतीय/कानपुर दिनांक 13.01.2025 के क्रम में धनराशि आहरित कर यूपीसीडा को उपलब्ध करायी जाए।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड (नादरगंज), अमौसी, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।